

an>

Title: Need to revise the rate of interest on education loans.

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आज के शून्य प्रहर में शिक्षा कर्जों में ब्याज मुक्ति संबंधी विधेय को उठाना चाहता हूँ।

जो गरीब माँ-बाप के बच्चे हैं, वे शैक्षणिक ऋण बैंकों से लेते हैं। जो बच्चे नेशनलाइज्ड बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक से कर्ज लेते हैं, उनके ब्याज दर 12 से 14 प्रतिशत तक हैं। यदि बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो इसमें उनको चार वर्षों का समय लगता है। चार वर्षों में उस पर पाँच लाख तक कर्ज की राशि होती है। पढ़ाई समाप्त होने के बाद वह नौकरी जवाइन करता है, तो उसे 10 हजार रुपये पगार मिलता है और बैंक की किश्त होती है 15 हजार रुपये की।

जो गरीब किसान और मजदूर हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। लेकिन शिक्षा-ऋण की जो ब्याज दर है, वह इन गरीब किसान और मजदूर लोगों के बच्चों की क्षमता से बाहर है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक इसके लिए ऋण देते हैं, उन्हें इस ऋण को ब्याज मुक्त करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ- यदि हम हाउसिंग लोन लेते हैं, तो 6 प्रतिशत के दरियाब से ब्याज लिया जाता है और शिक्षा ऋण पर 14 प्रतिशत तक का ब्याज लिया जाता है। जो गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, वे ऋण का रिपेमेंट करने या अपने को संभालेंगे। यह बहुत ही कठिन है।

इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि शैक्षणिक ऋण को ब्याज मुक्त करना चाहिए। इसके लिए मैंने पंत प्रधान जी को, श्री जेटली साहब तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी को भी पत्र लिखा है।

मेरा सुझाव है कि जो गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, जिनको कहीं से कर्ज नहीं मिलता है, वे डिम्मत करके बैंक से कर्ज लेते हैं, उस कर्ज को ब्याज मुक्त करने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए जो कर्ज लेते हैं, उनको दितासा देनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : एक ही विषय पर आप अपनी बात कहिए। आप सीधे कहिए कि एजुकेशन लोन पर इंस्टेंट 2% कम होना चाहिए।

श्री सदाशिव लोखंडे : 2% कम नहीं, यह ब्याज मुक्त होना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो किसान लोग ऋण न चुका पाने के कारण भी आत्महत्या करते हैं, उससे भी खतरनाक परिस्थिति शैक्षणिक कर्ज लेने वाले किसानों और मजदूरों का होने वाला है। इसके लिए ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

माननीय अध्यक्ष : सर्व श्री डॉ. किराट पी. सोलंकी, श्रीरंग आप्पा बारणे, कुंवर पद्मसेन्द्र सिंह वन्देल, ए.टी. नाना पाटिल, भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सदाशिव लोखंडे द्वारा उठाये गये विधेय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।